


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.05.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ/1-(02)2019/ 509 दिनांक 03.08.2023 से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता के नवीन विभाजन अनुसार तहसील क्षेत्र बेगूं, रावतभाटा एवं गंगारार के प्रकरणों में सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा को दिये जाने से उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप/समाप्त की जाकर पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा को अंतरित की जाती है। तदनुसार अभिलेख में इंड्राज किया जावे। पत्रावली अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा को भिजवाई जावे।</p> <div data-bbox="384 1093 504 1234" style="text-align: center;">  <p>सत्यमेव जयते</p> </div>	